अगस्त्यमलै में अतिक्रमण: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, 5,071 हेक्टेयर

पर्यावरण, वन और न्यायिक प्रवर्तन | समाचार संदर्भ: 29 मई 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट (न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ) ने अगस्त्यमलै पारिस्थितिकी परिदृश्य में आरक्षित वनभूमि के अतिक्रमण हटाने के समय-बद्ध निर्देश दिए — 2020 के आधिकारिक अभिलेखों में लगभग 4,595 व्यक्तियों द्वारा 5,071.27 हेक्टेयर पर अतिक्रमण, जबकि अब तक मात्र 1.8% भूमि ही मुक्त कराई जा सकी।

खबरों में क्यों

ए. जॉन कैनेडी बनाम तमिलनाडु राज्य (2026 INSC 605) में न्यायालय ने पाया कि वरुसानाडु, मेगमलै, गंडमानुर, चिन्नामानुर जैसी रेंजों में पुराने अतिक्रमण हैं — कई में रेशम-कपास, इलायची और बीन्स जैसी स्थायी खेती; मद्रास उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रगति नगण्य। थेनी जिलाधिकारी की रिपोर्ट: 4,601 अतिक्रमणकर्ता, 5,072.653 हेक्टेयर। न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी की कि जिला प्रशासन अतिक्रमणकर्ताओं को कानून-मानने वाले नागरिकों के समान अवसंरचना-सहायता, कल्याण-योजनाएँ और सब्सिडी देता रहा — प्रवर्तन और अंतर-विभागीय समन्वय न्यूनतम। निर्देशों में समय-बद्ध अतिक्रमण-विस्थापन, रिज़ॉर्ट बंद करने और बल-तैनाती शामिल; अनुपालन 28 अगस्त 2026 तक, अगली सुनवाई 1 सितंबर 2026 (अंशतः सुनाया गया)।

अगस्त्यमलै परिदृश्य — पारिस्थितिक महत्व

अगस्त्यमलै पश्चिमी घाट का दक्षिणी खंड है — जैव-विविधता का विश्व-स्तरीय केंद्र, हाथी-गलियारों और संवेदनशील आवासों का क्षेत्र, और कई नदियों का उद्गम। यहाँ का आरक्षित वन (Reserved Forest) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के संरक्षण में है। पारिस्थितिकी परिदृश्य (ecological landscape) दृष्टि एकल-वनखंड नहीं, आवास-गलियारा-जलस्रोत के जाल को मानती है — अतिक्रमण का मूल्यांकन इसी जाल के टूटने से होता है।

मुख्य तथ्य

मामला: ए. जॉन कैनेडी बनाम तमिलनाडु राज्य, 2026 INSC 605; पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ व न्यायमूर्ति संदीप मेहता; 29 मई 2026

अतिक्रमण-आँकड़े: 2020 अभिलेख: ~4,595 व्यक्ति, 5,071.27 हेक्टेयर आरक्षित वन (वरुसानाडु, मेगमलै, गंडमानुर, चिन्नामानुर); थेनी DM: 4,601 अतिक्रमणकर्ता, 5,072.653 हेक्टेयर; केवल 1.8% मुक्त

प्रकृति: पुराने अतिक्रमण; स्थायी फसलें — रेशम-कपास, इलायची, बीन्स; मद्रास HC के निष्कासन-आदेशों पर नगण्य प्रगति

प्रशासनिक विसंगति: अतिक्रमणकर्ताओं को अवसंरचना-सहायता, कल्याण-योजना, सब्सिडी — कानून-पालकों के समान; प्रवर्तन व अंतर-विभागीय समन्वय न्यूनतम

निर्देश: समय-बद्ध अतिक्रमण-निष्कासन; रिज़ॉर्ट बंद; बल-तैनाती; CEC (केंद्रीय सशक्त समिति) की भूमिका; अनुपालन 28 अगस्त 2026 तक; अगली सुनवाई 1 सितंबर 2026

तीन परतें — पारिस्थितिकी, प्रशासन-प्रवर्तन, सामाजिक न्याय

पारिस्थितिकी: हाथी-गलियारे और जलस्रोत-वन अतिक्रमण से खंडित होते हैं — 1.8% मुक्ति दर जाल-टूटने की गंभीरता दिखाती है

प्रशासन-प्रवर्तन: अदालती आदेशों के बावजूद दशकीय ठहराव प्रवर्तन-विफलता का प्रमाण; कल्याण-लाभ का विस्तार अतिक्रमण को 'अनुचित वैधता' देता है

सामाजिक न्याय: पुराने कृषि-अतिक्रमण में आजीविका-प्रश्न जुड़ा — निर्णय में पुनर्वास-पहलू (योजनाओं/सब्सिडी के समान विस्तार की टिप्पणी) के साथ निष्कासन-संतुलन आवश्यक

विश्लेषण और आगे की राह

तीन परतों में देखें। (1) प्रवर्तन-अर्थशास्त्र: जब अतिक्रमण पर कल्याण-लाभ मिलते रहें तो हटने की प्रतिकूल-प्रेरणा बनती है — न्यायालय ने इसी 'पुरस्कार-विसंगति' को चिह्नित किया; अब समय-बद्ध निर्देश + बल-तैनाती + CEC-निगरानी की त्रिकोणीय संरचना है। (2) न्यायिक रणनीति: अंशतः सुनवाई (part-heard) रखना और तिथि-बद्ध अनुपालन — continuing mandamus की तकनीक, जिससे मामला न्यायालय की निगरानी में बना रहे। (3) कठिन प्रश्न: दशकों पुराने कृषि-अतिक्रमण में निष्कासन का सामाजिक मूल्य; पुनर्वास-नीति के बिना प्रवर्तन मानवीय संकट बना सकता है — 28 अगस्त की समीक्षा में यही तनाव केंद्र में होगा। ध्यान रहे: यह विश्लेषण निर्णय-पाठ (2026 INSC 605, sci.gov.in) पर आधारित; अनुपालन-स्थिति न्यायालय/CEC अभिलेख से प्रमाण मानें।

अवधारणा में अंतर

आरक्षित वन (Reserved Forest — वन अधिनियम की कठोर श्रेणी) बनाम संरक्षित वन/ग्राम-वन — अतिक्रमण-विवाद पहले में। अतिक्रमण-निष्कासन (प्रवर्तन) बनाम वन-अधिकार अधिनियम 2006 के दावे (पारंपरिक निवासियों के अधिकार) — दोनों अलग कानूनी ट्रैक; FRA-दावों की वैधता-जाँच पहले, उसके बाद प्रवर्तन। और CEC (न्यायालय-नियुक्त सशक्त समिति) बनाम राज्य वन-विभाग — इस मामले में दोनों की भूमिका।

मेंस दृष्टि

GS-III: पर्यावरण-संरक्षण, वन-नीति, प्रवर्तन-शासन; GS-II: न्यायिक भूमिका। उत्तर में निर्णय-तथ्य (2026 INSC 605, आँकड़े, निर्देश — attributed), प्रवर्तन-विफलता का विश्लेषण, continuing mandamus और पुनर्वास-संतुलन रखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

'पर्यावरणीय प्रवर्तन की असली परीक्षा आदेश में नहीं, क्रियान्वयन में है।' अगस्त्यमलै अतिक्रमण निर्णय (2026) के आलोक में भारत में वन-संरक्षण प्रवर्तन की चुनौतियों की समीक्षा कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: अगस्त्यमलै में अतिक्रमण और न्यायिक निर्देशों के संदर्भ में वन-संरक्षण के आदेश तथा उनके क्रियान्वयन का अंतर रखें

मुख्य भाग में: चुनौतियाँ: प्रवर्तन-विफलता, पुरस्कार-विसंगति, पुराने अतिक्रमण, FRA-पुनर्वास प्रश्न; न्यायिक उपकरण: समय-बद्ध निर्देश, part-heard, CEC; मार्ग: अंतर-विभागीय समन्वय, पुनर्वास-नीति, गलियारा-बहाली

निष्कर्ष में: वन-संरक्षण के न्यायिक निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए प्रवर्तन-समन्वय, पुनर्वास और समयबद्ध अनुपालन की जाँच साथ चले

स्रोत

- भारत का सर्वोच्च न्यायालय — निर्णय-पाठ, 2026 INSC 605 (29 मई 2026)
- The Hindu — निर्णय-रिपोर्ट (2 जून 2026)

मुख्य तथ्य निर्णय-पाठ (sci.gov.in PDF) से शब्दशः सत्यापित; घटना-तारीख निर्णय-तिथि 29 मई 2026 है (रिपोर्ट जून में)। नक्शा नहीं बनाया गया।

यह भी पढ़ें: बाघों का सक्रिय प्रबंधन रोडमैप: सरिस्का के 18 साल | बक्सा में बाघ पुनर्स्थापन: स्थानांतरण से स्वावलंबी आबादी तक।

याद रखें: अगस्त्यमलै निर्णय दिखाता है कि वन-संरक्षण का युद्ध आदेशों की संख्या से नहीं, कल्याण-प्रेरणाओं और प्रवर्तन-समन्वय की मरम्मत से जीता जाता है।